मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

//आदेश//

क्र/डी–15/44/17/14–3 खरीफ 2017 के लिये भावांतर भुगतान योजना का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा पोर्टल संचालित किया जा रहा है, जिसमें योजना अन्तर्गत प्रदेश के किसानों का चयनित फसलों के लिये पंजीयन करने, उनके भूमि तथा बोनी का रकबा, बोई गई फसल का विवरण, पंजीकृत उपज को मंडी प्रांगण में विक्रय संव्यवहार, शासन द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर औसत उत्पादकता, शासन द्वारा अवधि विशेष के लिये समय–समय पर निर्धारित औसत मॉडल (होलसेल) दर आदि दर्ज विवरण के आधार पर भावांतर का निर्धारण होता है।

यह संज्ञान में आया है कि पोर्टल पर किसानों के पंजीयन, भूमि का रकबा, बोई गई फसल का सत्यापन, मंडी में विक्रय संव्यवहार इत्यादि आवश्यक जानकारियों के कुछेक प्रकरणों में इन्द्राज होने से छूट गई है अथवा त्रुटिपूर्ण विवरण दर्ज हो गया है। पोर्टल पर इन जानकारियों का सूक्ष्म सत्यापन की व्यवस्था निर्धारित है जिसमें उजागर होने वाली विंगतियों का यथा समय निराकरण अनिवार्य है ताकि योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं नियत प्रक्रिया के अनुसार पात्र पंजीकृत कृषक से संबंधित शुद्ध एवं प्रमाणिक विवरण के आधार पर सही भावांतर का तत्परता से हितग्राही के बैंक खाते में सीधे राशि अंतरितत हो सके।

अतः कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये पोर्टल में योजना से संबंधित छूटी गई जानकारी को इन्द्राज करने अथवा त्रुटिपूर्ण दर्ज विवरण को संशोधित करने के लिये जिला कलेक्टर को लागइन पासवर्ड प्रदान किया जाता है एवं **विभागीय ज्ञाप क्रमांक डी–15/44/2017/14–3 दिनांक 06 सितम्बर 2017 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 तक मूल दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण कर उसके कारण को लेखबद्ध करते हुए अनुमति देने तथा उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।**

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्र/डी–15/44/17/14–3
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, भोपाल।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।

7. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसम्पर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
14. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल।
15. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
16. कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
17. कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
18. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
19. आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर, म0प्र0।
20. आयुक्त (संस्थागत वित्त) म0प्र0 भोपाल।
21. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
22. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल।
23. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
24. कलेक्टर्स (समस्त)।
25. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय भोपाल को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
28. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति नियम, भोपाल।
29. प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
30. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
31. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र – NIC) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
32. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
33. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
34. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग